

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक:प.19(16)गृह-5/2018

जयपुर, दिनांक: 21.06.2018

परिपत्र

प्रायः यह देखने में आया है कि पुलिस विभाग से राज्य के किसी भी विधायक के नाम सम्मन/वारण्ट की तामील हेतु प्रकरण राजस्थान विधानसभा सचिवालय को प्रेषित कर दिया जाता है जबकि इस संबंध में नियम यह है कि किसी भी विधायक के नाम सम्मन/वारण्ट की तामील विधान सभा सचिवालय के माध्यम से विधान सभा परिसर में नहीं कराया जा सकता है तथा विधायक के निवास स्थान अथवा परिसर के बाहर किसी भी आपराधिक प्रकरण में कोई भी कार्यवाही किये जाने हेतु पुलिस स्वयं अधिकारिता रखती है।

इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत राज्यपाल महोदय के अनुमोदन से जारी General Rules (Criminal), 1980 जिनका राजस्थान राजपत्र-पार्ट-4(ग) उपखण्ड(1) में दिनांक 31.01.1980 को प्रकाशन हुआ है, के द्वितीय अध्याय के कम संख्या-12 पर संसद व राज्य विधान मण्डलों के सदस्यों के विरुद्ध सदन की प्रसीमाओं में वैध आदेशों के निर्वहन के संबंध में निम्न उल्लेख किया गया है:-

12. Process against Members of the Parliament and State Legislature:- No summons or process against Member of Parliament or a Member of State Legislature shall be sent to the Presiding Officer of the House for service or execution. No such summons or other process shall be served on any Member within the precincts of the House of which he is a Member. Summons addressed to a Member of Parliament or a State Legislature should be sent directly to the Member concerned at his residence or at some other place.

इस सम्बन्ध में राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 67-168 में निम्न उल्लेख किया गया है:-

167. सदन की प्रसीमाओं में बन्दीकरण:- "सदन की प्रसीमाओं में, अध्यक्ष की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना, कोई बन्दीकरण नहीं किया जायेगा।"

168. वैध आदेश का निर्वहन:- "सदन की प्रसीमाओं में, अध्यक्ष की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना, किसी व्यवहारिक अथवा अपराधिक वैध आदेश का निर्वहन नहीं किया जायेगा।"

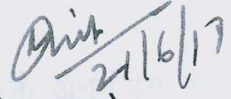


इस विषय में कौल एवं शकधर द्वारा प्रणीत "संसदीय प्रणाली एवं व्यवहार" नामक पुस्तक के सम्बद्ध अंश का त्वरित सन्दर्भ हेतु उद्धृत करना भी अप्रासंगिक नहीं होगा जो निम्नानुसार है:-

"भारत सरकार ने सम्बद्ध अधिकारियों को हिदायतें दी हैं कि न्यायालय दीवानी या फौजदारी आदेशिकाएँ अध्यक्ष या सचिवालय के माध्यम से संसद सदस्यों को न दे। उपयुक्त प्रक्रिया यह है कि सदस्यों को संसद भवन के परिसर के बाहर अर्थात् उनके निवास स्थान पर या और कहीं सम्मन आदि दें।"

इसके अतिरिक्त मा0 राज0 उच्च न्यायालय द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों तथा 135-ए में व्यवहार प्रक्रिया संहिता के मामलों में भी विधान सभा परिसर के बाहर ही कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है।

अतः भविष्य में किसी भी विधायक के नाम सम्मन/वारन्ट की तामील हेतु प्रकरण राजस्थान विधानसभा सचिवालय को नहीं भिजवाये जावें तथा ऐसे सम्मनों की तामील माननीय सदस्यों को उनके निवासीय स्थान अथवा अन्य स्थान पर ही कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावें। उक्त निर्देशों की सख्ती से अनुपालना करायी जावें ताकि इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो।

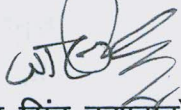

21/6/17

(रोहित कुमार)

शासन सचिव-गृह

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदया, राज0 जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय गृहमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0, जयपुर।
4. अति0 मुख्य सचिव/शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक.एफ.1(40)(1)सशा./विस.
/2013/15385 जयपुर दिनांक 17.05.2018 के संदर्भ में प्रेषित है।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
7. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज, राजस्थान/पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
9. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान।
10. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान/पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर।
11. प्रोग्रामर, गृह विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।


(जगदीप सिंह कुशवाह)
वरिष्ठ शासन उप सचिव,
गृह (सुरक्षा) विभाग